कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरांत हसीना बानो का पदस्थापन व्याख्याता उर्दू के पद पर आदेश क्रमांकः– शिविरा/मा./सस्था/सी–5/नियुक्ति–उर्दू/पीएससी/2015/ दिनांक 20.02.16 के आदेश संख्या–3 द्वारा राउमावि सारवार, अजमेर में किया गया था । याचिकार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपने पदस्थापन आदेशों के विरूद्व रिट संख्या 3823/2018 दायर की । अपनी याचिका में याचिकार्थीया ने गुहार की थी कि याचिकार्थीया एकल अविवाहित महिला है तथा उसे गृह जिला जयपुर से काफी दूर सारवाड, जिला अजमेर में व्याख्याता उर्दू पद पर पदस्थापित किया गया है । अतः उसे गृह जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिये । याचिका के संदर्भ में पारित निर्णयानुसार माननीय न्यायालय ने याची को अभ्यावेदन अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश दिये । अतः याचिकार्थीया द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

याची द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन का विभागीय अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी वरियता जिलेवार नही होकर राज्य स्तरीय है। पदस्थापन काउन्सलिंग के माध्यम से किया गया और काउन्सलिंग कार्यक्रम पूर्ण पारदर्शिता एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मापदंडो के अनुसार किया गया था । जिसमें काउन्सलिंग द्वारा पदस्थापन के लिये बनायी गयी वरीयता सूची (जिसमे विकलांग, विधवा,परित्यक्ता, एकल महिला, महिला, भूतपूर्व सैनिक व अन्य) के अनुसार अभ्यर्थी की सहमति के अनुसार , पदस्थापन हेतु स्थान चयन का प्रावधान किया गया था । याचिकार्थीया द्वारा राउमावि सारवार, अजमेर में कार्यग्रहण कर लिया था । सभी परिस्थिति, पहलु व अन्य व्यवस्था के कारकों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण के पश्चात् याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा./सस्था/सी–5/हसीना बानो/को.के06/2018 दिनांक 15/05/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अजमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि माध्यमिक शिक्षा
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को उनके पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29823/सी/18 दिनांक 27/4/18 के क्रम में प्रति प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि सारवार, अजमेर
7. संबंधित कार्मिक हसीना बानो व्याख्याता उर्दू राउमावि सारवार, अजमेर
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर